

प्रेषक,

अशोक कुमार यादव,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
पंचम/विशेष न्यायाधीश(गैंगेस्टर एक्ट),
जौनपुर।

प्रतिष्ठा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

द्वारा,

जनपद न्यायाधीश,
जौनपुर।

विषय— एलएल.एम.(पत्राचार माध्यम) में प्रवेश हेतु अनुमति सम्बन्धी।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि अधोहस्ताक्षरी ने उ0प्र0 उच्चतर न्यायिक सेवा परीक्षा 2018(भाग 2) में चयनोपरान्त दिनांक 31.08.2019 को प्रथम नियुक्ति पर जनपद जौनपुर में कार्यभार ग्रहण किया है। वह अपनी शैक्षणिक अभिवृद्धि हेतु कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र के डायरेक्ट्रेट ऑफ डिस्टेन्स एजुकेशन द्वारा संचालित एलएल.एम. पाठ्यक्रम(पत्राचार माध्यम) प्रथम वर्ष के वर्तमान सत्र में प्रवेश लेना चाहता है, जिसकी परीक्षा आगामी जून, 2021 में होनी सम्भावित है। दूरस्थ शिक्षा माध्यम का पाठ्यक्रम होने के कारण इसमें किसी कक्षा का आयोजन नहीं होना है, न ही परीक्षार्थी की उपस्थिति अपेक्षित है। यह भी निवेदित है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा न्यायालय समय के अतिरिक्त समय में ही पाठ्यक्रम हेतु समय प्रबन्धन करते हुए इसे स्वअध्ययन द्वारा पूर्ण किया जायेगा। पाठ्यक्रम में प्रवेश उसके पदीय दायित्वों को विपरीत रूप से प्रभावित नहीं करेगा। पाठ्यक्रम के लिए उसके द्वारा कोई अध्ययन अवकाश अथवा उपार्जित अवकाश नहीं लिया जायेगा।

अतः माननीय से प्रार्थना है कि अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त एलएल.एम पाठ्यक्रम(पत्राचार माध्यम) में प्रवेश लेने तथा इसे पाठ्यक्रम के पश्चात्तर्वर्ती सत्रों हेतु जारी रखने की अनुमति प्रदान करने पर विचार करने की कृपा करें।

सादर,

दिनांक: 13.10.2020

संलग्नक—

1. नोटिफिकेशन
2. पाठ्यक्रम का प्रोस्पेक्ट्स
3. पाठ्यक्रम का सिलेबस

भवदीय


(अशोक कुमार यादव)